लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2024 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **183वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डॉ0 रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः—

उपस्थितिः—

01.	**श्री प्रथमेश कुमार**	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
02.	**श्री राकेश कुमार सिंह**	अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रतिनिधि—जिलाधिकारी, लखनऊ।
03.	**श्री ललित कुमार**	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	**श्री मुकेश चन्द्र वार्ष्णेय**	सहायक लेखाधिकारी, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि—अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	**श्री अनिल कुमार मिश्र**	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
06.	**श्री दीप कुमार गौतम**	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	**श्रीमती कंचन सुबोध**	संयुक्त आयुक्त—उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
08.	**श्री सै0 अतहर कादरी**	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
09.	**डॉ0 कल्याण सिंह**	उपनिदेशक—पर्यटन, प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
10.	**श्री पुष्कर शुक्ला**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	**श्री पी0एन0 सिंह**	सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अन्य उपस्थितिः—

12.	**श्री विवेक श्रीवास्तव**	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	**श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा**	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	**श्री दीपक सिंह**	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	**श्री के0के0 गौतम**	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	**श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह**	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	**श्री सोम कमल सीताराम**	संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
18.	**श्री मनोज सागर**	अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
19.	**श्रीमती वन्दना पाण्डेय**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
20.	**श्रीमती रंजना अवस्थी**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
21.	**श्री शशी कुमार भारती**	उद्यान अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
22.	**श्री रवि नन्दन सिंह**	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
23.	**श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव**	सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः—

मद सं0	विषय	निर्णय
183/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
183/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बैठक दिनांक 13.09.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

183/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण की 50वीं वर्षगाठ व Festive Session के उपलक्ष्य में विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का ''पहले आओ, पहले पाओ'' योजना के अन्तर्गत दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
183/4	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023–24 के वास्तविक आय–व्ययक तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित आय–व्ययक की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्व–सम्मति से प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक आय–व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रस्तावित पुनरीक्षित आय–व्ययक, जिसमें आय रू0 1759.76 करोड़ तथा व्यय रू0 1654.46 करोड़ के प्राविधान को अनुमोदित किया गया।
183/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्पत्तियों में आवंटित मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल होने पर दर निर्धारण तथा धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि बैठक के दौरान श्री पुष्कर शुक्ला, नामित सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार कानपुर रोड पर भवनों के पीछे रिक्त पड़ी जमीन का सर्वे करा लिया जाय। तत्पश्चात् सम्बन्धित को डिमाण्ड जारी किया जाय।
183/6	अकबर नगर, भीखमपुर तथा बटलर पैलेस से विस्थापित व्यक्तियों को बसंतकुंज योजना में आवास आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
183/7	अकबर नगर, भीखमपुर तथा बटलर पैलेस से विस्थापित व्यक्तियों को बसंतकुंज योजना में आवंटित फ्लैटों की किश्त निर्धारण के सम्बन्ध में।	अकबर नगर, भीखमपुर तथा बटलर पैलेस से विस्थापित किये गये आवंटियों को बिना व्याज के निर्धारित मूल्य पर 10 वर्षो की किश्तें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
183/8	व्योम खण्ड, गोमती नगर योजना के कतिपय आवंटियों को बसंतकुंज योजना में भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया।
183/9	लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबंधन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम् जन सेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयीः– 1–अन्तर की धनराशि को 16% साधारण व्याज के साथ जमा किया जाये। 2–177 भूखण्डों के अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं उनके Gap को Close कराके धनराशि जमा करायी जाये। 3–सी0बी0आई0 द्वारा दाखिल की गयी चार्जशीट का विवरण प्राप्त किया जाये। 4–सी0बी0आई0 से स्पष्ट आख्या लेकर 177 भूखण्डों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

183/10	प्राधिकरण द्वारा 2000 वर्गमी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट तथा प्राधिकरण की 50 वर्ष से अधिक पुरानी योजनाओं के अन्तर्गत 2000 वर्गमी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर एकल आवासीय के रूप में आवंटित किये गये भूखण्डों पर ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रकरण शासन को संज्ञानार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गयाः– 1– भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 2000 वर्गमी0 होना चाहिए। 2– भूखण्ड न्यूनतम 12 मी0 चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्थित होना चाहिए। 3– भूखण्ड मे समूह आवास (बहुमंजलीय भवनों) हेतु प्रस्तावित सेटबैक लागू किये जाए। 4– समूह आवास हेतु निर्धारित भू–आच्छादन ही अनुमन्य किया जाए तथा विकसित/निर्मित क्षेत्र हेतु लागू 1.5 बेसिक एफ0ए0आर0 अनुमन्य किया जाए। 5– बेसिक एफ0ए0आर0 1.5 के ऊपर नियमानुसार सशुल्क क्रय योग्य एफ0ए0आर0 भी अनुमन्य किया जाय। 6– समूह आवास अनुमन्य किये जाने से पूर्व जनसामान्य से 01 माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित कर आपत्ति/सुझावों को निस्तारणोपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जाये। 7-- पूर्व में सम्पादित लीज डीड या फ्री–होल्ड डीड में एकल आवास के स्थान पर समूह आवास की अनुमन्यता के लिये करेक्शन डीड या त्रुटि सुधार (तितिम्मा) कराया जाय जिसमें स्टाम्प शुल्क आदि का व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा। 8– समूह आवास के भूखण्ड का विक्रय आवासीय दर की डेढ़ गुनी दर पर किया जाता है तथा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की सम्पत्तियों का फ्री–होल्ड प्रीमियम धनराशि का कुछ प्रतिशत यथा (15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत) शुल्क प्राप्त कर ही किये जाने का प्राविधान रहा है। कुछ सम्पत्तियों पर सम्पूर्ण प्रीमियम धनराशि भी जमा करायी गयी है। अतः जिन सम्पत्तियों पर ग्रुप हाउसिंग की अनुमन्यता प्रदान की जानी है उन भूखण्डों के फ्री–होल्ड के समय जमा करायी गयी प्रीमियम प्रतिशत धनराशि यथा 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत जो भी तत्समय प्राप्त किया गया हो, को 150 प्रतिशत

		से घटाते हुए वर्तमान आवासीय सर्किल दर पर आगणन कर अवशेष धनराशि आवेदक से जमा कराकर प्रश्नगत भूखण्ड पर ग्रुप हाउसिंग क्रिया अनुमन्य किया जाय। 9– मानचित्र स्वीकृति के समय समस्त शुल्कों के साथ विकास शुल्क भी प्राप्त किया जाए तथा प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के सापेक्ष 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों को प्रस्तावित किया जाय अथवा इन भवनों के सापेक्ष शासनादेशानुसार शेल्टर फीस प्राप्त की जाय। 10– प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के लिये भवन उपविधि के अनुरूप सेटबैक, अग्निशमन सुरक्षा मानक तथा स्ट्रक्चरल सेफ्टी के समस्त तकनीकी मानकों को पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व आवदक का होगा।'' उपरोक्त के अतिरिक्त मानचित्र स्वीकृति से पूर्व प्रस्तावित स्थल पर विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति के सम्बन्ध में प्रकरण विशेष का परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।
183/11	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्मित किये गये व्यवसायिक कॉम्पलेक्स में अनुरक्षण शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
183/12	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी में प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.09.2024 में अनुमोदित प्रस्ताव के अतिरिक्त भूमि से आच्छादित ग्राम–मोहारी खुर्द, मोहारी कला व सिद्धपुरा, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 218.4572 हे0 (539.8195 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
183/13	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित वेलनेस सिटी में प्राधिकरण बोर्ड की 182वीं बोर्ड बैठक दिनांक 13.09.2024 में अनुमोदित प्रस्ताव के अतिरिक्त भूमि से आच्छादित ग्राम–मस्तेमऊ, तहसील–मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 51.4117 हे0 (127.0410 एकड़) भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करते हुए आवासीय योजना विकसित किये जाने विषयक।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

183/14	मा0 मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्राम – सोनई कंजेहरा, सिकन्दरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, बक्कास, मोहारी खुर्द, खुजौली व भटवारा, तहसील – मोहनलालगंज, लखनऊ में क्षेत्रफल 686.6615 हे0 (1696.778 एकड़) भूमि को सहमति के आधार पर भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित आई0टी0 सिटी योजना से आच्छादित ग्रामों में क्षेत्रफल 686.6615 हे0 (1696.778 एकड़) भूमि को सहमति के आधार पर भू–स्वामी/विकासकर्ताओं की भूमि को समितियों हेतु निर्धारित समायोजन पॉलिसी के अनुसार कुल भूमि की 50 प्रतिशत अविकसित भूमि बल्क सेल के रूप में भू–स्वामी/विकासकर्ताओं को प्रदान किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
183/15	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के अर्जित भूमि पर अवस्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए वर्ष निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना से आच्छादित ग्राम–कलियाखेड़ा एवं प्यारेपुर की अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कब्जा प्राप्त करने के वर्ष 2019 की पी0डब्लू0डी0, एस0ओ0आर0 (Schedule of Rates) दर से कराने हेतु प्रस्तुत कार्योत्तर प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
183/16	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम – मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, भिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, लखलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की अर्जित भूमि के प्रतिफल की दर पर ब्याज की गणना की तिथि नियत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम–मोहिबुल्लापुर, मोहिउद्दीनपुर, भिठौली खुर्द, खरगपुर जागीर, पहाड़पुर, जाहिदपुर, लखलीलाबाद, आकिलपुर, सिन्दरपुर इनायत अली, सेमरा गौढ़ी, बटहा सबौली व अतरौली की अर्जित भूमि के प्रतिफल की दर पर ब्याज की गणना की तिथि नियत करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये कि भुगतान करने से पूर्व यह परीक्षण कर लिया जाय कि वर्ष 2007 में कितना मुआवजा अपर जिलाधिकारी (भू–अर्जन) द्वारा दिया गया था।
183/17	लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड योजना के क्रियान्वयन हेतु आउटर रिंग रोड से योजना को जोड़ने वाली 60मी0 मार्ग के संरेखण मे आ रही वन विभाग की भूमि को विनिमय कराने, आम सहमति से क्रय करने/भूमि अर्जन करने तथा राज्य सरकार मे दर्ज भूमि के पुनर्ग्रहण करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

183/18	ग्राम–भदरूख, तहसील–सरोजनीनगर, लखनऊ की भूमि खसरा संख्या –324, 325 व 327 कुल 4213.67 वर्गमी0 भूमि के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सी) संख्या–26424 / 2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0 संख्या – 24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुपालन में शासन स्तर पर डी–नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्णय के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सी) संख्या–26424/2024 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 16.04.2024 एवं एस0एल0पी0 संख्या–24089/2017 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम कृष्ण कुमार बंसल में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के अनुपालन में शासन स्तर से डी–नोटिफिकेशन सम्बन्धी निर्णय विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
183/19	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत नियोजित कालोनियों में आवासीय भूखण्डों पर अनावासीय क्रियाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण से सम्बन्धित जमा धनराशि की वापसी सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि ऐसे प्रकरण अन्य विकास प्राधिकरणों में भी है, अतः मुख्य विकास प्राधिकरणों को सम्मिलित करते हुए शासन स्तर से एक समिति का गठन कराकर प्रकरण पर दिशा–निर्देश हेतु शासन से अनुरोध किया जाय।
183/20	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि –2008 (यथा संशोधित–2023 के अध्याय–8 के प्रस्तर–8.4(V) तथा प्रस्तर –8.4(VI) में संशोधन के अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2023 के अध्याय–8 के प्रस्तर–8.4(V) तथा प्रस्तर–8.4(VI) में हुए संशोधन के अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
183/21	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08. 2023 द्वारा किये गये संशोधनों के अंगीकरण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 द्वारा किये गये संशोधनों के अंगीकरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
183/22	कानपुर रोड योजना के दो व्यवसायिक भूखण्डों के भू–उपयोग को नर्सिंग होम (उच्च से निम्न भू–उपयोग) में परिवर्तन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
183/23	जानकीपुरम् योजना सेक्टर–जे में प्राइमरी स्कूल हेतु नियोजित भूखण्ड को हाईस्कूल की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में जहाँ मात्र सब कैटेगरी का परिवर्तन हो रहा है तथा वित्तीय उपाशय निहित न हो, उनमें उपाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जाय।

183/24	शारदा नगर योजना के अन्तर्गत हाईस्कूल भूखण्ड क्षेत्रफल 7032.50 वर्ग मी0 के शमन मानचित्र पर लेवी शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति की संस्तुति पर निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नियमानुसार लेवी लिये जाने के निर्देश दिये गये।
183/25	गोमती नगर स्थित भूखण्ड संख्या–सी–2, विभव खण्ड को व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः– 1. सर्वप्रथम वर्तमान दर पर आवासीय भूमि मूल्य के बराबर भूखण्ड का मूल्य अथवा निर्धारित देय भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, जो भी अधिक हो, जमा कराते हुए भूखण्ड का नामान्तरण आवेदक के पक्ष में किया जाय। 2. तत्पश्चात् ले–आउट में संशोधन के लिए नियमानुसार आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए उसके निस्तारणोपरान्त ले–आउट प्लान में संशोधन किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि प्रोग्रेसिव सहकारी आवास समिति को समायोजन में प्राप्त भूमि की शिकायत के सम्बन्ध में जांच प्रक्रियाधीन है, अतः उपरोक्त समस्त कार्यवाही प्रक्रियाधीन जांच में किये जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।
183/26	ग्रीन कॉरीडोर के अन्तर्गत आ रही सेना की भूमि के बदले सममूल्य भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
183/27	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे निर्माण/विकास कार्यों के सम्पादन हेतु 22 अवर अभियन्ता (सिविल) की क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र (RCUES) लखनऊ द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
183/28	लखनऊ शहर के सिटी लॉजिस्टिक प्लान के फाइनल रिपोर्ट की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
183/29	प्राधिकरण द्वारा सुल्तानपुर रोड पर आई.टी. सिटी योजना विकसित करने हेतु को–डेवलपर के चयन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गईः– 1. को–डेवलपर के चयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया। 2. को–डेवलपर के चयन हेतु नियम व शर्तों के सहयोग/परामर्श हेतु पूर्व से बजट होटल एवं मोहान रोड योजना (774 एकड़) की आर०एफ०पी० तैयार किये जाने हेतु दिनांक 06.04.2018 को अनुबंधित फर्म M/s Jones Lang Lasalle Property Consultants (India) Pvt.Ltd. (JLL), से कार्य कराये जाने की अनुमति के साथ धनांक रू0 38.00 लाख का संशोधित अनुबन्ध कराये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया।

183/30	इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के सम्बन्ध में ई.ई.एस.एल. द्वारा दिये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
183/31	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत समस्त कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को कुल पारिश्रमिक प्रतिमाह कुल रू0 30,468.00 एवं इलेक्ट्रीशियन/लिफ्ट ऑपरेटर/कारपेन्टर/प्लम्बर (कुशल) को रू0 21,549.00 प्रतिमाह तथा हेल्पर को रू0 19,254.00 प्रतिमाह दिये जाने पर सहमति/अनुमोदन प्रदान किया गया।
183/32	श्री ओम प्रकाश सिंह, मेट द्वारा अपनी चिकित्सा पर हुए व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त श्री ओम प्रकाश सिंह, मेट द्वारा अपनी चिकित्सा पर हुए व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किए जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनु0वि0 183/1	पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत निजी आवासों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त पी0एम0 सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत निजी आवासों पर अनिवार्य रूप से सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापना से सम्बन्धित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में सम्मिलित कराने एवं शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
अनु0वि0 183/2	मोहान रोड आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त मोहान रोड आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
अनु0वि0 183/3	देवपुर पारा योजना के आवंटियों/अध्यासियों को प्रस्तावित कबीर नगर योजना के अन्तर्गत नवनिर्मित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 भवनों में समायोजन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण/प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारणीय बिन्दु।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि भवन के बदले भवन का ही समायोजन किया जाय।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

अन्य विषय सं0–1

प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के दौरान मा0 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0, पी0एम0ए0वाई0, आश्रयहीन एवं छोटी दुकानों तथा चबूतरों की गणना किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय की भांति 20 वर्गमी0 तक के व्यवसायिक भूखण्डों में भी बकाया धनराशि की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज की दर से की जाय। तत्क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य विषय सं0–2

प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के समय वृक्षारोपण हेतु लिये जाने वाली जमानत धनराशि को आवासीय प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के मानचित्रों हेतु सर्वसम्मति से भूखण्डों के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नवत् शुल्क निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया:–

निर्गत कार्यवृत्त में अन्य विषय संख्या–02 (पृष्ठ संख्या–9) पर लिये गये निर्णय में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या–4 पर 501 से 1000 वर्गमी0 तक के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 501 से 6000 वर्गमी0 तक अंकित हो गया है, जिसे 501 से 1000 वर्गमी0 तक पढ़े जाने हेतु शुद्धि–पत्र दिनांक 18.12.2024 समस्त मा0 सदस्यों को प्रेषित किया गया है।

क्र.सं.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	जमानत धनराशि (रूपये में)
1.	100 वर्ग मी0 तक	10,000/—
2.	101 से 300 वर्ग मी0 तक	20,000/—
3.	301 से 500 वर्ग मी0 तक	50,000/—
4.	501 से 6000 वर्ग मी0 तक	1,00,000/—

1000 वर्गमीटर से अधिक प्रत्येक 1000 वर्ग मी0 तक के क्षेत्रफल के लिए रू0 10,000/— (दस हजार मात्र) अतिरिक्त देय होंगे।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(विवेक श्रीवास्तव)
सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रोशन जैकब)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

कार्यालय उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

पत्रांक :300/सचिव–प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक : 18 दिसम्बर, 2024

शुद्धि पत्र

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 को सम्पन्न हुई। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों के सापेक्ष कार्यवृत्त समस्त सदस्यों को पत्रांक–298/सचिव, प्रा0भ0 बोर्ड/2024–25 दिनांक 12.12.2024 द्वारा प्रेषित किया गया था। निर्गत कार्यवृत्त में अन्य विषय संख्या–2 (पृष्ठ संख्या–9) पर लिये गये निर्णय में उल्लिखित तालिका के क्रम संख्या–4 पर 501 से 1000 वर्गमी0 तक के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 501 से 6000 वर्गमी0 तक अंकित हो गया है।

अतएव प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 के अन्य विषय संख्या–2 (पृष्ठ संख्या–9) पर लिये गये निर्णय में उल्लिखित तालिका के **क्रम संख्या–4 पर ''501 से 6000 वर्गमी0 तक'' के स्थान पर ''501 से 1000 वर्गमी0 तक'' पढ़ा जाय।**

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष/आयुक्त महोदया, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव महोदय, वित्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव महोदय, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
5. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी, लखनऊ।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. संयुक्त आयुक्त–उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
11. श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
12. श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
13. अन्य सम्बन्धित/गार्ड फाइल।

18/12

(प्रथमेश कुमार)
उपाध्यक्ष

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक
दिनांक 04.12.2024 की उपस्थिति

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	डा0 रोशन जैकब, अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।		
2.	श्री सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी, लखनऊ। राकेश कु0 सिंह ADM F/R		
3.	प्रथमेश कुमार, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9999226006	
4.	श्री इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ। ललित कुमार AMC	8810702501	
5	मुकेश चन्द्र पाण्डेय कार्य0 अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन प्रतिनिधि–अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	9837458332	
6	प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।		
7	श्री अनिल कुमार मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।	9452153302	
8	श्री दीप कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	8795810009	
9	श्री महेश कुमार गौतम, सै0 अतहर [illegible] अधिशासी अभियन्ता प्रतिनिधि–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।	9473942542	
10	श्रीमती कंचन सुबोध, संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।	7355719130	
11	डॉ0 कल्याण सिंह, उपनिदेशक, पर्यटन, लखनऊ। प्रतिनिधि–महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।	9444666444	
12	श्री पुष्कर शुक्ला, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9415484495	
13	श्री पी0एन0 सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।	9936287161	